

7

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut



संशोधित पत्र

पत्रांक : सम्बद्धता/3005
दिनांक : 27-9-2025

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
02. विभागाध्यक्ष, समन्वयक, निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषय:-विश्वविद्यालय/संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक राजपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या: ई-5914/32-जी0सी0/2025/103-3/154/2025 दिनांक: 26 अगस्त, 2025 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा उनमें सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

मा0 कुलाधिपति महोदया के निर्देशों के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्रगणों को इस आशय का नोटिस निर्गत करने का कष्ट करें कि यदि किसी छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे परीक्षा फार्म भरने की एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस नोटिस को विश्वविद्यालय/संस्थान एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये तथा इससे छात्रगणों को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये। यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो उपयुक्त होगा।

अतः राजपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. वैयक्तिक सहायक, प्रतिकुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)